| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारी... अहकाम जो इ... हुक्म की तामी... में जारी हुए |
|---|---|---|
| 7.8.20<br>विपक्षी सं. 1 व 2 व 4 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते<br>[signature]<br>7/8/20 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील विपक्षी सं. 1,2,4 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। विपक्षी सं-3 का सम्मन नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। जिसे शा-प० किया गया। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विवादित आराजियात का मौके मे सीमा ज्ञान नहीं कराया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>[signature]<br>**उपखण्ड अधिकारी**<br>**मांडल जिला भीलवाड़ा** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इर

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

(प)ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

(मु)कदमा संख्या –26/20 प्रा.पत्र

श्री भंवर लाल s/o श्री बल्या माली निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री हीरा s/o श्री कालु कीर निवासी-कीर खेड़ा तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)
(प्रा.पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07-08-20

::आदेश::

(प्रा)र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन (कि)या कि ग्राम......माण्डल......पटवार हल्का......माण्डल......तहसील माण्डल में उसके (खा)ते /संयुक्त खाते की आराजी नं.......8962......कुल किता......01......रकबा......–...... (बी)घा......13......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह (न)हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते (क)ी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......11.3.20......को पंजीवद्व किया जाकर (प्र)करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से (प)त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की (हे)रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को (र)खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

(प्र)ार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......माण्डल ...... पटवार हल्का......माण्डल......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.......8962......कुल किता......01......रकबा......–...... बीघा......13......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक......माण्डल......400/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी ... आदेशानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.22 15:04:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner